उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4,
संख्या: 354 / XXIV–4 / 2025–10(10)2022
देहरादून : दिनांक : 17 मार्च, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 में अग्रेत्तर परिष्कार करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात :–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम, 2025 होगा I (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
अध्याय–बारह के विनियम 14 का संशोधन	2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 के अध्याय–बारह के विद्यमान विनियम 14(7)(ग) में "उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित है" में कमांक–9 के पश्चात निम्नलिखित कमांक जोड़ दिया जायेगा, अर्थातः– "10 कक्षा–10(हाईस्कूल) परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित तीन वर्षीय पालिटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा–12 (इण्टरमीडिएट) उत्तीर्ण की समकक्षता होगी।"

Signed by
Ravinath Raman
Date: 17-03-2025 14:09:58

(रविनाथ रामन)
सचिव।

कार्यालय – शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, आमवाला, देहरादून।

पृ0सं0 121 /आई.आर.डी.टी./2025–26/ दिनांक 08.05.2025

प्रतिलिपि – परिषद् से सम्बद्ध समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/निजी/सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को जनहित में अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 मुकेश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव